राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2017–18/लीज छूट/89/355 दिनांक : 14/03/2018

–:: कार्यालय आदेश ::–

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक प.5(3)नविवि/3/99पार्ट जयपुर दिनांक 05.03.2018 में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

S/d.

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव– मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त ..... राज. आवा. मं., ...
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... राज. आवा. मं., ...
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
15. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक.प 5(3)नविवि/3/99पार्ट जयपुर,दिनांक: 15 MAR 2018

आदेश

राजस्थान नगर सुधार न्यास, 1959 की धारा 74, राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 के नियम 7ए, एवं राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम 1970 की धारा 60 के अन्तर्गत प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल की बकाया लीज के ब्याज में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

विभागीय आदेश कमांकः प. 5(3)नविवि/3/99पार्ट दिनांक 06.02.2018 द्वारा विकास प्राधिकरणों/नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल की तरफ बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने जाने पर दिनांक 28.02.2018 तक ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की गयी है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष 2018–19 घोषणा संख्या 254 से आमजन को राहत देने के उद्देश्य से नगर विकास न्यासों/राजस्थान आवासन मण्डल/जयपुर, जोधपुर तथा अजमेर विकास प्राधिकरण की बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करायें जाने पर वर्तमान में दी जा रही ब्याज राशि में शत–प्रतिशत छूट की दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक बढाया जाना प्रस्तावित है।

अतः विभागीय आदेश कमांक प. 5(3)नविवि/3/99पार्ट दिनांक 06.02.2018 की निरन्तरता में प्रदत्त छूट को दिनांक 31.12.2018 तक एतद्द्वारा बढाया जाता है।

यह आदेश तुरंत प्रभाव से प्रभावी होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है–

(1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
(2) निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
(3) निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
(4) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
(5) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
(6) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
(7) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
(8) संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
(9) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/ अजमेर विकास प्राधिकरण।
(10) सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
(11) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(12) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
(13) वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
(14) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।

15/3/18
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम